

पत्र क्रमांक 61-4699/सू0अ0/2015/8944

दिनांक 23.06.2015  
२५

प्रति,

श्री हिमान्यु शक्ति,  
पुत्र श्री रामकिशोर,  
C/o बसंत टॉकिज,  
थातीपुर,  
ग्वालियर

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत चाही गयी जानकारी बावत्।  
संदर्भ :- सूचना का अधिकार के अंतर्गत आपका पत्र दिनांक 14.04.2015


महोदय,

आपके द्वारा चाही गयी जानकारी के संदर्भ में संबद्ध अनुभाग से प्राप्त दस्तावेज प्रेषित किये जा रहे हैं :-

प्रश्न क्रमांक	उत्तर
1	ग्वालियर जिले की मान्यता प्राप्त अशासकीय डी.एड. महाविद्यालयों की सूची, एन.सी.ई.टी. की वेबसाइट <a href="http://www.nctewrc.co.in">www.nctewrc.co.in</a> पर उपलब्ध है।
2	अशासकीय डी.एड. महाविद्यालयों को मान्यता, भवन निर्मित/पूर्ण होने के उपरांत ही दी जाती है।
3	NIL
4	एन.सी.ई.टी. द्वारा किसी महाविद्यालय को नियम एवं मानदणानुसार होने पर ही मान्यता प्रदान की जाती है।
5	एन.सी.ई.टी. द्वारा किसी महाविद्यालय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

यदि उक्त प्रकरण में आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी, (क्षेत्रीय निदेशक) प.क्षे.स. (रा.अ.शि.प.) के समक्ष एक प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न:- यथोपरि।

  
(परविन्दर सिंह)  
जनसूचना अधिकारी